

3/यो0स०क०-27/2023

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग 15

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या/2026-27)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा०प्र०से०,
अपर सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 13.04.2026

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में समाज कल्याण निदेशालय अन्तर्गत संचालित बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना के अन्तर्गत राज्य स्कीम मद में रू० 700.00 लाख (सात करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा बाल अधिकार, विशेषतया पारिवारिक संरक्षण से वंचित यथा निराश्रित, उपेक्षित, अनैतिक पणन के शिकार, शोषण के शिकार बालकों के अधिकारों के संरक्षण एवं उनके हनन के मामलों में त्वरित कार्रवाई हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 अधिसूचित किया गया है। इसके अन्तर्गत बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड के स्थापनार्थ राज्य योजना से वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल रू० 700.00 लाख (सात करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि रू.लाख में)

क्र०	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	बाल न्यायालय एवं बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना	(51-2235021060107)	0107.31.04, 31.06	700.00
योग:- (सात करोड़)				700.00


2 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 12888/वि० दिनांक 03.12.2024, 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि० दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशो/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो0स०क०-27/2023 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-10/टि0 पर दिनांक-09.04.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स०क०-27/2023 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-10/टि0 पर दिनांक-10.04.2026 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन




(योगेश कुमार सागर)

अपर सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-27/2023 15

पटना, दिनांक- 13.04.2026

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।




अपर सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-27/2023 15

पटना, दिनांक- 13.04.2026

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।




अपर सचिव।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-27/2023 15

पटना, दिनांक- 13.04.2026

प्रतिलिपि -विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ एवं स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



अपर सचिव।

